कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांकः– 1544 दिनांकः– 28/03/25

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.27 (क) (36) गृह–2/2024 जयपुर पार्ट 1 दिनांक 14.08.2024 द्वारा जारी स्वीकृत संख्या 49/2024–25 द्वारा नवीन पुलिस थाना साईबर काइम सृजित किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन पुलिस थाना साईबर काईम अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला भिवाडी एवं वृत्त कार्यालय भिवाडी के अधीन रहेगा। उक्त नव सृजित थाने का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। जिला पुलिस अधीक्षक भिवाडी के आदेश कमांक भ–6 () भिवाडी/सामान्य/2025/322 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा उक्त थाने के लिए न्यायालय का आवंटन करवाने बाबत पत्र पेश किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

1. उक्त नव सृजित साईबर थाना जिला भिवाडी के साईबर थाना द्वारा स्थानीय क्षेत्राधिकार में पुलिस जिला भिवाडी के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार सम्मिलित किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना अनुसार निम्न विधियों के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में जॉच/अनुसंधान उक्त साईबर पुलिस थाना द्वारा किया जावेगा।

   I सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21)

   II आयुध अधिनियम 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 54)

   III प्रवासी अधिनियम 1983 (1983का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 31)

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के आदेश कमांक स्था/2025/11735 दिनांक 28.03.2025 की अनुपालना में मैं अर्चना गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 (1) व 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नव सृजित साईबर थाना भिवाडी का मुख्यालय भिवाडी एवं स्थानीय क्षेत्र संपूर्ण जिला भिवाडी के क्षेत्राधिकार में साईबर काईम से संबंधित उद्भूत होने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी का क्षेत्राधिकार आवंटन करती हूँ।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

भवदीया
Sd/-
(अर्चना गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :– 1545–54 दिनांक :– 28/03/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड
3. संबंधित न्यायालय.......................
4. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड/भिवाडी
5. संबंधित पुलिस थाना.......................
6. संबंधित बार एसोसियेशन ....
7. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)
8. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

अर्चना गुप्ता
(अर्चना गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर